प्रेषक,

चकबंदी आयुक्त,

उत्तर प्रदेष,

लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त–

1–जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबंदी,उत्तर प्रदेष ।

2–संयुक्त/उप संचालक चकबंदी,उत्तर प्रदेष ।

3–बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी/सहायक बंदोबस्त अधिकारी,

चकबंदी,उत्तर प्रदेष ।

सं0 5457/जी0–415/2002 दिनांक 06 दिसम्बर, 2005

बिषयः– सिविल मिस रिट पिटीषन सं0–63740/2005 उदय नरायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेष राज्य व अन्य सं0–64545/2005 अनीस विषाल व अन्य बनाम निदेषक/आयुक्त चकबंदी व अन्य संख्या –64896/2005 बलवन्ती बनाम चकबंदी अधिकारी,पिंडारा,जिला वाराणसी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेष दिनांक 6–10–2005 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर कहना है कि मा0उच्च न्यायालय के आदेष दिनांक 6–10–2005 के अनुपालन में निदेषालय के परिपत्र संख्या–5040/जी0–415/2002 दिनांक 8–11–2005 निर्गत किया जा चुका है । प्रष्नगत आदेष के अनुपालन में ष्षासकीय पत्र संख्या–डब्लू–1317/1–12– 05–98 रिट/05 दिनांक 29–11–2005 जो सचिव राजस्व परिषद व चकबंदी आयुक्त,उत्तर प्रदेष, लखनऊ को सम्बोधित तथा समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेष, जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेष को पृष्ठाांकित है,की छायाप्रतिइस आषय से संलग्न की जा रही है कि इस पत्र में निहित निर्देषों का अनुपालन सुनिष्चित करें । मा0 उच्च न्यायालय का आदेष दिनांक 6–10–2005 की प्रति निदेषालय के पत्र दिनांक 8–11–2005 द्वारा पूर्व में ही भेजी जा चुकी है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(पी0के0झा)

चकबंदी आयुक्त,

उत्तर प्रदेष ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव,राजस्व विभाग,उत्तर प्रदेषष्षासन, लखनऊ को उक्त पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(पी0के0झा)

चकबंदी आयुक्त,

उत्तर प्रदेष